न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) सिणधरी

पीठासीन अधिकारी :श्री सर्वेश्वर निम्बार्क, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 157/2024

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिणधरी		चंपादेवी व अन्य

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 130,131,136 रा. भू. राज.एक्ट 1956

उपस्थिति–

1. राज.पैरोकार नायब तहसीलदार(उपखण्ड कार्यालय सिणधरी) प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री भंवरलाल सारण अधिवक्ता विप्रार्थीगण

–: आदेश:–

दिनांक–07.04.2026

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार सिणधरी द्वारा राजस्व ग्राम **देराजोणी साईयों की ढाणी** पटवार मण्डल **पायला खुर्द** तहसील सिणधरी की जमाबंदी संवत् 2076–2079 के अनुसार प्रस्तावित निजी खातेदारी की भूमि जो मौके पर रास्ते के उपयोग में आ रही है,जिसे गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने के हेतु प्रस्तुत प्रकरण में बाद पक्षकारान की सुनवाई के भूमिधारक तहसीलदार सिणधरी द्वारा अनुशंषा किये जाने पर राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक:प.3(2)राज–6/2003/पार्ट/04 दिनांक 10.08.2016 एवं राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक:प. 3(2)राज–6/2021/पार्ट/91 दिनांक 30.9.2021 के अनुसरण में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 60 (एच) के तहत प्रस्तावित भूमि को निर्णय दिनांक 30.10.2024 के जरिये गैर मुमकीन रास्ता के रूप में दर्ज करते हुए तहसीलदार को राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने हेतु निर्देशित किया कि

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

जी खातेदारी की भूमि में से चालू स्थाई सार्वजनिक रास्ता सम्बन्धित निजी खातेदारी में रखते हुए नक्शे व जमाबंदी में पृथक से खसरा नम्बर दिया जाकर रास्ते के रकबे सहित किस्म गैर मुमकीन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये गये।

विप्रार्थीगण द्वारा उक्त आदेश के विरूद्व न्यायालय हाजा में दायर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आ. 9 नि. 13 सी.पी.सी पर सुनवाई के पूर्ववत आदेश दिनांक 30.10.2024 को अपास्त करते हुए पुनः बरामद किया जाकर उसी नम्बर पर दर्ज रजिस्टर किया गया।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी ओर से जवाब प्रस्तुत करते हुए अपनी बहस के कथनों में उल्लेखित किया कि पूर्व में उक्त विचाराधीन प्रकरण में खसरा संख्या 176 ग्राम देराजोणी सांइयों की ढाणी को आलोच्य आदेश दिनांक 30.10.2024 को कदीमी रास्ता प्रकरण को स्वीकार कर बै.मु. रास्ता इन्द्राज का आदेश पारित किया। कि तत्समय मुख्य सड़क से राजकीय विद्यालय के खसरा संख्या 208 मे से होकर अस्थायी आवागमन का रास्ता चलायमान था। उक्त रास्ता से मात्र ख.सं. 176 की जुड़ रहा थ जो व्यापक जनहित की श्रेणी का नही था एवं तत्पश्चात स्कूल के नाम आवंटित भूमि ख.सं. 208/1 के चारो ओर चार दिवारी का निर्माण हो जाने से उक्त रास्ते की उपयोगिता ही समाप्त हो गयी। कि उक्त रास्ता मौके पर विद्यमान एवं चलायमान नहीं होने से खसरा संख्या 176 ग्राम देराजोणी सांइयों की ढाणी के खातेदारान द्वारा पृथक से अन्तर्गत धारा 251 ए का आवेदन अनवान कानाराम बनाम ईश्वराराम वगे. का पेश करने पर खसरा संख्या 377/198 ग्राम श्री गोगाजी मंदिर (तत्काली देराजाणी सांइयो की ढाणी) में से रास्ता प्रदत्त हो गया है। कि पूर्ववर्ती रास्ता के मध्य सड़क मार्ग से संपर्क टूट जाने से कोई उपयोगिता ही नहीं रही है। तथा न ही मौके पर चलायमान योग्य है एवं खातेदारन को समानान्तर धारा 251 के तहत रास्ता प्रदत्त है जिससे यह आवेदन खारिज योग्य है। अतः उक्त रास्ता व्यापक जनहित से संबद्व न होने तथा पूर्व में विद्यालय की भूमि मे से चलायमान होने एवं वर्तमान में विद्यालय चारदीवारी से रास्ता उपयोग यौगय नहीं होने से मौके पर उपलब्धता का अभाव की स्थिति में उक्त आवेदन खारिज किये जाने के आदेश फरमावे।

विप्रार्थीगण की बहस के सन्दर्भ में प्रार्थी के पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में अपने आवेदन के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि पूर्व में श्रीमान जिला कलक्टर के पत्रांकःप.12()(1)राजस्व/2016/7205–40 दिनांक 10.10.2016 के द्वारा प्राप्त निर्देशों की अनुपालना में तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन किया है,कि राजस्व ग्राम **देराजोणी साईयों की ढाणी** पटवार मण्डल **पायला खुर्द** तहसील सिणधरी की जमाबंदी संवत् 2076–2079 के अनुसार प्रस्तावित निजी खातेदारी की भूमि जो मौके पर रास्ते के उपयोग में आ रही है,जिसे गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने के हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया। जिस पर पक्षकारान की विधिवत सुनवाई पश्चात् न्यायालय हाजा द्वारा प्रस्तावित नजरी नक्शा अनुसार मौके पर चलायमान बारहमासी रास्ता आमजन की भौतिक सुखाचार हेतु उपयोग में

उपखण्ड अधिकारी

में आने की दशा के साथ ही विप्रार्थी वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं तर्क स्वरूप दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर पुर्नस्थापित अथवा निरस्त किया जाता है तो उन्हे कोई उजर एतराज नहीं है।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन एवं विवेचन किया गया। जिसमें पाया गया कि उभयपक्ष की विधिवत सुनवाई में विप्रार्थीगण ने अपनी ओर से जवाब प्रस्तुत करते हुए प्रस्तावित कदीमी रास्ता जो कि मौके पर सार्वजनिक रास्ते के रूप में उपयोग में नहीं आने से उसे निरस्त किये जाने के तथ्यों की पुष्टि की पैरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस के तथ्यों में किये जाने से यह स्पष्ट होता हो कि मौके पर तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्तावित कदीमी रास्ता मौके पर चलायमान अथवा मौके पर वर्तमान में अवस्थित नहीं हो। अतः प्रथम दृष्टया न्यायालय को इस बात की संतुष्टि है कि पूर्व में तहसीलदार सिणधरी द्वारा अपने आवेदन में प्रस्तुत इबारत के अनुसार प्रस्तावित चलायमान रास्ते को राजस्व रेकर्ड में गे.मु. रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने हेतु पर बाद सुनवाई न्यायालय द्वारा वर्तमान में मौके पर बारहमासी चलायमान रास्ते का उपयोग आम जन के भौतिक सुखाचार के लिए उपयोग में नहीं लिया जा रहा है, ऐसी स्थिति में रेस्टोर प्रकरण में उभयपक्ष की बहस एवं मोखिक अभिकथनों तथा दस्तावेजी साक्ष्यों के अनुसार न्यायालय निर्णय दिनांक 30.10.2024 के सलंग्न स्वीकृत प्रस्तावित भूमि का नजरी नक्शा का भू–भाग जो मौके पर बारहमासी चलायमान रास्ता जो कि आस–पास के निवासियों के लिए आवागमन की सुगमता को परिदृशित किये जाने में अक्षमता के रूप में आम जन हेतु उपयोगी सिद्व नहीं होने को के साथ ही विद्यालय भवन की चारदीवारी से प्रभावित होने को दृष्टिगत रखते हुए गै.मु. रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने के पारित पूर्ववत आदेश को निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

लिहाजा उपरोक्त तथ्यों के विवेचन अनुसार रेस्टोर प्रकरण में उभयपक्ष की बहस एवं मोखिक अभिकथनों तथा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों के अनुसार न्यायालय निर्णय दिनांक 30.10.2024 के सलंग्न स्वीकृत प्रस्तावित भूमि का नजरी नक्शा का भू–भाग जो कि आस–पास के निवासियों के लिए आवागमन की सार्थकता एवं उसकी भौतिकता को प्रमाणित नहीं करने के फलस्वरूप गै.मु. रास्ता के रूप में दर्ज प्रविष्टि को राजस्व रेकर्ड से निरस्त करते हुए पुनः सम्बधित पक्षकारान की खातेदारी में बहाल किये जाने के आदेश पारित किये जाते है।

(सर्वेश्वर निम्बार्क)
उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 07.04.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी